न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 68 / 2026 दायर दिनांकः 11.03.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पिडावा

—प्रार्थी

बनाम।

1. मोहनलाल पुत्र रोडूलाल जाति चमार नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा
2. अवन्तीबाई पुत्री रोडूलाल जाति चमार नि. कल्याणपुरा तहसील पिडाव
3. सुहागबाई पत्नी रोडूलाल जाति चमार नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी : — पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा
अप्रार्थीगण :— एकतरफा

<u>आदेश</u> दिनांक : 27.05.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 26 रकबा 0.6070 बारानी प्रथम, ख.नं. 28 रकबा 0.5564 बारानी दोयम, खसरा नं. 73/594 रकबा 0.3541 बारानी दोयम खसरा नं. 73/595 रकबा 0.0126 गै. मु चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 26 रकबा 0.6070 बारानी प्रथम, खसरा नं. 28 रकबा 0.5564 बारानी दोयम, खसरा नं. 73/594 रकबा 0.3541 बारानी दोयम, खसरा नं. 73/595 रकबा 0.0126 गै.मु.चाह दर्ज है। जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। नवीनतम जमाबन्दी नकल संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजी को भू प्रबंध प्रक्रिया के दौरान सिवायचक भूमि पर बिना किसी

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, (राज.)

आधार के गैर खातेदारी में दर्ज की गई जबकि इस संबंध में राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं. प 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 21.11.07 में स्पष्ट किया है कि भू प्रबंध प्रक्रिया के दौरान सिवायचक भूमि पर बिना किसी आधार के गैर खातेदारी में दर्ज किये प्रकरणों में नियमन की कार्यवाही कर खातेदार किया जाना नियमानुसार नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्ठि को हटाये जाने हेतु भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रा.प्र. स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खाता सरकार दर्ज की जाये। संलग्न नकल सेटलमेन्ट, नकल सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी व रिर्पोट पटवारी। अतः उक्त भू.प्रबंध प्रक्रिया के दौरान सिवायचक भूमि पर बिना किसी आधार के गैर खातेदारी में दर्ज की गई जो राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं. प 9 (225) राज–6/07/38 दिनांक 21.11.07 के अनुसार भू प्रबंध प्रक्रिया के दौरान सिवायचक भूमि पर बिना किसी आधार के गैर खातेदारी में दर्ज किये प्रकरणों में नियमन की कार्यवाही कर खातेदार किया जाना नियमानुसार नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्ठि को हटाये जाकर खाता सरकार दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। ततपश्चात अप्रार्थीगण की तलबी नहीं होने एवं ग्राम में निवास नहीं करने से अप्रार्थीगण के सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये परन्तु इसके बाद भी अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 13.05.2026 से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कल्याणपुरा का खाता सं. 59 जमाबंदी सं. 2022–41, मिलान क्षेत्रफल, खाता सं. 194 जमाबंदी सं. 2074–77, नामा.सं. 217 दिनांक 21.03.1996, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा नक्शा दिनांक 04.04.2025, खसरा गिरदावरी सं. 2078–81, समाचार पत्र दिनांक 24.12.2025 की छायाप्रति, खाता सं. 12

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

जमाबंदी सं. 2009–12, मिलान क्षेत्रफल, खाता सं. 9 जमाबंदी सं. 2019–22, समाचार पत्र दिनांक 06.05.2026 की असल प्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस एकतरफा सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कल्याणपुरा के हाल ख.नं. 26 रकबा 0.6070 है., ख.नं. 28 रकबा 0.5564 है, ख.नं. 73/594 रकबा 0.3541 है. ख.नं. 73/595 रकबा 0.0126 है. भूमि सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी सं. 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी। उसके बाद सं. 2022 में तहसील पिडावा में सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे रिसर्वे का कार्य शुरू किया गया था। सेंटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्रार्थी सरकार की भूमि को गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था जिसका सेंटलमेंट विभाग के कार्मिको को कोई कानूनी हक व अधिकारी नहीं था। जिला रिकार्ड रूम झालावाड में तलाश करने पर भी किसी प्रकार का कोई आवंटन दस्तावेज अप्रार्थीगण के नाम प्राप्त नहीं मिला है। अप्रार्थीगण 25–30 वर्षो से ग्राम छोडकर अन्य तहसील में निवास करने लग गये है। गैरखातेदार अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है जो कि आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। वर्तमान में कुछ अन्य लोगो द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है । अतः राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी से पुनः प्रार्थी/खाता सरकार दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है।

6. पैराकार सरकार की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 से 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

कल्याणपुरा के ख.नं. 26 रकबा 0.6070 है., ख.नं. 28 रकबा 0.5564 है, ख.नं. 73/594 रकबा 0.3541 है. ख.नं. 73/595 रकबा 0.0126 है. मांगू वल्द देवा जाति चमार की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो जरिये फोती नामा.सं. 217 दिनांक 21.03.1996 से मांगू वल्द देवा के वारीसान अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी में दर्ज हुई। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी सं. 2015–18, 2018–30, सेटलमेंट विभाग का मिलान क्षेत्रफल आदि के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व खाता सरकार दर्ज थी। प्रार्थी तहसीलदार पिडावा का कथन है कि तहसील कार्यालय एवं जिला रिकार्ड रूम झालावाड में वादग्रस्त भूमि के आवंटन का कोई भी आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण भी ना तो न्यायालय में उपस्थित हुए है और ना ही कोई आवंटन आदेश पेश किया है। तहसीलदार पिडावा एवं हल्का पटवारी शेरपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर अन्य लोगो द्वारा खेती की जा रही है। गैर खातेदार पिछले 25–30 वर्षो से गांव छोडकर स्थाई रूप से अन्यत्र बस गये है। अतः स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिती के आवंटन आदेश के बिना ही प्रार्थी सरकार की वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को परिवर्तित कर मांगू वल्द देवा जाति चमार की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रविष्टियों मे बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार यदि भू प्रबंधन प्रकिया के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भू प्रबंध के दौरान हुयी त्रुटियों को धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही दर्ज कर दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया जाये एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इंद्राज कि गई गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे। अतः धारा 136 एल आर एक्ट के अधीन सेटलमेंट विभाग द्वारा अविधिक रूप से की गई प्रविष्टियों या त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 26 रकबा 0.6070 है., ख.नं. 28 रकबा 0.5564 है, ख.नं. 73/594 रकबा 0.3541 है. ख.नं. 73/595 रकबा 0.0126 है. के संबंध में राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 26 रकबा 0.6070 है., ख.नं. 28 रकबा 0.5564 है, ख.नं. 73/594 रकबा 0.3541 है. ख.नं. 73/595 रकबा 0.0126 है. की खातेदारान की वर्तमान प्रविष्टि को दुरूस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना अपील समय गुजरने के बाद की जावेगी। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner